17 महीने बाद भोपाल कोर्ट का फैसला...

नाबालिग के यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को आखिरी सांस तक 4 बार उम्रकैद

▪ चार अलग-अलग धाराओं में सजा ▪ सहयोगी मोहम्मद आवेश को भी आजीवन कारावास, स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल और नाबालिग का अबॉर्शन करवाने वाले डॉ. हेमंत मित्तल को 5 साल की सजा

लीगल रिपोर्टर. भोपाल| नाबालिग से यौन शोषण मामले में प्यारे मियां को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा की अदालत ने सोमवार दोपहर ये फैसला सुनाया। 13 जुलाई 2020 को कोहेफिजा थाने में उस पर 11 अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पहले प्यारे मियां और उसके सहयोगी मोहम्मद आवेश उर्फ उबेश को आरोपी बनाया गया था। बाद में इसमें प्यारे की करीबी स्वीटी विश्वकर्मा और नाबालिग का अबॉर्शन करवाने वाले डॉक्टर हेमंत मित्तल को भी आरोपी बनाया गया। अदालत ने आवेश को जीवंत पर्यन्त आजीवन कारावास, स्वीटी को 20 साल और डॉ. मित्तल को पांच साल कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबलपुर जेल में बंद प्यारे ने कोर्ट का फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना। पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीएन सिंह राजपूत ने बताया कि अदालत ने प्यारे को यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट की तीन अलग-अलग धाराओं में चार आजीवन कारावास (जीवन पर्यंत) और अर्थदंड की सजा दी है।

शेष | पेज 9 पर

प्यारे मियां

केस का टर्निंग पॉइंट

अबॉर्शन रिपोर्ट, पोर्नोग्राफी वीडियो मुख्य सबूत, बच्ची के बयान ने बदला केस

डीसीपी ने बताया कि बच्ची की सोनोग्राफी रिपोर्ट, उसका अबॉर्शन किए जाने की रिपोर्ट और प्यारे मियां के घर से मिली पोर्नोग्राफी वीडियो हमारे पास मजबूत साक्ष्य थे। केस का टर्निंग प्वाइंट तब बना, जब बच्ची ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने अंतिम बयान दिए। इसके बाद इस केस में और मजबूती आई और आरोपियों को सजा दिलवाई जा सकी।